	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27-03-24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता व अप्रार्थी सं 1 व 2 के अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थीगण 1 व 2 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया नकल प्रार्थी अधिवक्ता को दिलवाई गई। वास्ते तलबी अप्रार्थी सं 3 पत्रावली 24-04-24 को पेश हो।	
24-04-24	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित वास्ते तलबी अप्रार्थी सं 3 पत्रावली दिनांक 5-06-24 को पेश हो।	
23-05-24	प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र स्वीकार पत्रावली तलबकर पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित व अप्रार्थी सं 3 सरकार पैरोकार उपस्थित जवाब पेश नहीं किया गया। प्रार्थना पत्र बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस समाहत पत्रावली की गई। प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल फाईल किया। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा (बूंदी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी,जिला बून्दी राज0

1/प्रा.पत्र/2023

दायरा दिनांक 04.01.2023

पीठासीन अधिकारी

श्री कैलाश चन्द गुर्जर (RAS)

बउनवान

1. भूली बाई पत्नी स्व0 श्री मोरपाल जाति गुर्जर निवासी रेलवे स्टेशन लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज.।

—प्रार्थिया

बनाम

1. चेतन कुमार पुत्र श्री अनिल कुमार जाति ब्राहमण निवासी गर्ल्स स्कूल के पास लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी।
2. शिवशंकर शर्मा पुत्र श्री हरिप्रसाद जाति ब्राहमण निवासी चरणदास जी के मन्दिर के पास लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।

—अप्रार्थीगण

अन्तर्गत धारा 128,111 एल. आर. एक्ट

:—आदेशः—

प्रार्थिया की ओर से प्रार्थना—पत्र पेश किया गया है कि ग्राम नयांगांव पटवार हल्का तहसील इन्द्रगढ़ कि जमाबंदी 2075—78 खाता संख्या नया 68 पुराना 67 के खसरा संख्या 476/2 रकबा 1.48 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 1.48 हैक्टेयर जो खातेदारी हक से दर्ज रिकॉर्ड होकर प्रार्थिया की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की है। जिसकी पत्थरगढ़ी करने का निवेदन किया है।

प्रार्थिया ने प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थिया की प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि के पश्चिमी ओर अप्रार्थिगण की कृषिभूमि है जिसका खसरा संख्या 476/1 रकबा 1.48 है0 है जो राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थिगण 1 व 2 के नाम दर्ज है प्रार्थिया के नाम जितनी भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है उसके अनुरूप प्रार्थिया के पास जमीन नहीं है। प्रार्थीया की खाते व कब्जेकाश्त की भूमि के पडौसी काश्तकार प्रार्थिया के उक्त खसरा संख्या की भूमि पर अतिक्रमण कर सीमाओं को मिटाना चाहते हैं। इस संबंध प्रार्थिया ने दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

17.06.2022 को सीमाज्ञान भी करवाया परंन्तु उसके उपरांन्त भी अप्रार्थी कम 1 लगा0 2 प्रार्थिया के खाते व कब्जेकाश्त कृषिभूमि को दबाने को आमादा है। प्रार्थिया ने उक्त अप्रार्थीगण से उनकी जमीन नहीं दबाने के बाबत कहा तो उक्त अप्रार्थीगण लडाई-झगडे करने पर आमादा रहते हैं। प्रार्थिया के खाते एवं कब्जेकाश्त की प्रार्थना पत्र में अंकित कृषिभूमि के सीमांकन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न न हो तथा प्रार्थिया के कब्जेकाश्त की कृषिभूमि का रकबा भी सुरक्षित रहे इस कारण से प्रार्थिया अपने खाते की कृषिभूमि का सीमांकन करवाकर पत्थरगढी करवाना चाहती है। प्रार्थिया को सुना तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का निरीक्षण किया- प्रार्थिया उक्त आराजीयात जैर बहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजीयात जैर बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थिगण को नोटिस जारी किए गए। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 की तरफ से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किए जाने बाबत् निवेदन किया जवाब प्रार्थना पत्र की नकल प्रार्थिया अधिवक्ता को दिलवाई गई। अप्रार्थी संख्या 3 पेरोकार सरकार उपस्थित हुए प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रार्थना पत्र पर सहमति व्यक्त की गई। पत्रावली पर उभयपक्ष की बहस सुनी। उभयपक्ष बहस समाहत पत्रावली की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया, तथ्यों पर मनन किया गया।

प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। तहसीलदार इन्द्रगढ़ को प्रकरण हाजा में कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम नयांगांव पटवार हल्का तहसील इन्द्रगढ़ कि जमाबंदी 2075-78 खाता संख्या नया 68 पुराना 67 के खसरा संख्या 476/2 रकबा 1.48 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 1.48 हैक्टेयर जो खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड होकर प्रार्थी के खातेदारी हक दर्ज रिकार्ड की फरिकेन मुकदमा को सूचित कर उनकी उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे अनुसार बिना कब्जे में दखल दिये नपती की जाकर सही सीमा चिन्ह स्थापित किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी की जावे एवं मौके पर कोई विवाद हो तो पुनः न्यायालय में पेश करें। पर्चा मौका एवं मौका ट्रेस 15 योम में इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे। कमिश्नर फीस 1000/- रूपये अक्षरे एक हजार रुपये प्रार्थिया से वसूल किये जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 23.05.2024 को खुले न्यायालय के इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बूंदी)
लाखेरी (बूंदी)